

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-15/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अनीता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), रेफरल अस्पताल, सकरा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक-24.12.2017 से 17.01.2019 तक उपभोगित चिकित्सीय अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-377(25) दिनांक-15.02.2023 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-24.12.2017 से 15.03.2018 तक	- कुल-82 (बयासी) दिन रूपान्तरित अवकाश (164 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) के रूप में।
ii.	दिनांक-16.03.2018 से 21.06.2018 तक	- कुल-98 (अनठानवे) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
iii.	दिनांक-22.06.2018 से 17.01.2019 तक	- कुल-210 (दो सौ दस) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-15/2023-

606(2) पटना, दिनांक 20/3 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० अनीता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), रेफरल अस्पताल, सकरा सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विनोद कुमार पाठक 18/3/26
सरकार के उप सचिव।